सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2024–25

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय

राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2024–25

राजस्व आसूचना एवं
आर्थिक अपराध निदेशालय

राजस्थान, जयपुर

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1
2	उद्देश्य	1-2
3	संरचना	2-3
4	बजट प्रावधान एवं व्यय	3
5	कार्य प्रणाली	3-5
6	विशेष चयन नियम	5
7	मुखबिरों / सूचनादाताओं एवं निदेशालय में पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना	6
8	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	6
9	पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण	6-9
10	चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2024 से 31.12.2024) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण	10
11	आलौच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल	11-14
12	सार संक्षेप	14
13	पदों की स्थिति दिनांक 31.12.2024 तक (सारणी–1)	15
14	निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नंबर (सारणी–2)	16

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–25

1. प्रस्तावना–

राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर, उसे रोकने के लिए वित्त विभाग के अधीन राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय (State Directorate of Revenue Intelligence) की स्थापना 2010 में की गई थी। बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा के समय की गई घोषणा के बिन्दु संख्या 83 की पालना में वित्त विभाग के अन्तर्गत राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराधों सम्बन्धी कार्यों को सम्मिलित करते हुए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया गया है। इसका प्रशासनिक विभाग "वित्त (राजस्व) विभाग", शासन सचिवालय, जयपुर तथा मुख्यालय 'जयपुर' है। निदेशालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान है। नवगठित निदेशालय द्वारा दिनांक 05.10.2023 से कार्य आरम्भ कर दिया गया है। निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों को विभिन्न विभागों से संबंधित करापवंचन संबंधी मामलों में कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं।

2. उद्देश्य–

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव को रोकने एवं आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच एवं अभियोजन के उद्देश्य से किया गया है।

निदेशालय का कार्य मुख्यतया राज्य सरकार के राजस्व अर्जन करने वाले विभागों में हो रहे राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर इन सूचनाओं का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, विभिन्न विभागों के मध्य पारस्परिक समन्वय के अभाव में हो रहे कर के रिसाव को रोकना, अंतरराज्यीय व्यापार में करवंचना को रोकने के संबंध में सुझाव देने के साथ ही आम जनता के माध्यम से प्राप्त कर अपवंचना की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर आम जनता में विश्वास उत्पन्न करना है। वर्तमान में निदेशालय द्वारा राजस्व अर्जन करने वाले 5 विभागों वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, खनन तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग में कर वंचना से संबंधित सूचनाओं/शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय द्वारा राजस्व आसूचना एवं करापवंचन से संबंधित कार्यों के साथ–साथ निम्नांकित आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजन संबंधी कार्य किये जाने है –

(I) **आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजन संबंधी निम्नांकित कार्य–**

i. राजकीय भूमि पर अवैध रूप में कब्जा करना या विक्रय करना,

ii. Real estate कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करना,

iii. मुद्रांक एवं पंजीयन से सम्बन्धित अनियमितताएं,

iv. बैंक, बीमा, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, स्टॉक मार्केट, जमा पूंजी एवं ऋण संबंधी कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करना,

v. झूठा दिवालियापन घोषित करना,

vi. फर्जी कम्पनियों का गठन करना,

vii. सहकारी साख समितियों (Cooperative Credit Societies) सहकारी आवास समितियों (Cooperative Housing Societies) आदि के कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता करना,

viii. मल्टी लेवल मार्केटिंग सम्बन्धी धोखाधड़ी या अनियमितता,

ix. फर्जी प्लेसमेन्ट एजेन्सी का गठन या संचालन या मानव संसाधन संबंधी अनियमितता करना,

x. फर्जी दस्तावेजों से नौकरी या प्रवेश संबंधी अनियमितताएं करना

3. संरचना–

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में 107 पद स्वीकृत किये गये है। विभागाध्यक्ष का पदनाम महानिदेशक/आयुक्त, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी का पद हैं। निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक के स्वीकृत 4 पदों में एक–एक पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा एवं अन्य राज्य सेवा संवर्ग के है। इनके अतिरिक्त संयुक्त निदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी के 10 पदों में एक–एक पद राजस्थान

प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान खनि अभियांत्रिकी सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, अन्य राज्य सेवा तथा 2 पद राजस्व, बैंकिंग या बीमा सेवा से सम्बद्ध कार्मिको के स्वीकृत है। इनके अलावा उपनिदेशक एवं राजस्व आसूचना अधिकारी के 20 पदों में दो–दो पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान खनि अभियांत्रिकी सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान परिवहन सेवा, राजस्थान सहकारिता सेवा तथा 4 पद अन्य राज्य सेवा संवर्ग के स्वीकृत है।

उपरोक्त पदों के अतिरिक्त एक–एक पद मुख्य लेखाधिकारी, उपविधि परामर्शी, कनिष्ठ लेखाकार, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं प्रोग्रामर के हैं। विधि सहायक एवं सहायक प्रोग्रामर के 2–2 पद तथा सूचना सहायक के 5 पद, वरिष्ठ लिपिक के 12 पद, कनिष्ठ लिपिक के 24 पद, वाहन चालक के 10 पद एवं सहायक कर्मचारी के 12 पद भी सृजित है।

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का संगठन चार्ट एवं स्वीकृत पदों का विवरण क्रमशः सारणी–1 एवं 2 में दर्शाया गया है।

4. बजट प्रावधान एवं व्यय

निदेशालय में केन्द्र प्रवर्तित मद में कोई बजट प्रावधान नहीं है, मुख्य रूप से प्रशासनिक व्यय किया जाता है। राज्य निधि में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि रू 712.53 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व 31 दिसम्बर 2024 तक राशि 423.55 लाख का व्यय किया गया।

5. कार्य प्रणाली

प्राप्त सूचनाओं / शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर आमजन में विश्वसनीयता कायम करने की दृष्टि से प्राप्त सभी सूचनाओं / शिकायतों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण करते हुए त्वरित निस्तारण का प्रयास किया जाता है। करापवंचन के संबंध में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं / शिकायतों के अलावा आंकडों के विश्लेषण (Data analysis) के माध्यम से करापवंचन प्रतीत होने पर स्व प्रेरणा से भी प्रकरण दर्ज किये जाते है। निदेशालय द्वारा स्वप्रेरणा से की जा रही जांच कार्यवाही के अतिरिक्त, प्राप्त अन्य सूचनाओं / शिकायतों के संबंध में अपनायी जाने वाली मानक परिचालन पद्धति (Standard Operation Procedure) निर्धारित की गई है। चूंकि निदेशालय में अधिकांश सूचनाऐं एवं शिकायतें आमजन से अपेक्षित

हैं, अतः जिसके दृष्टिगत् निदेशालय में प्राप्त इन सूचनाओं एवं शिकायतों को 'पब्लिक इन्फोरमेशन ऑन रेवेन्यू इन्टेलीजेंस' (PIR) का नाम दिया गया है।

कोई भी व्यक्ति डाक, दस्ती, मोबाईल फोन, निदेशालय की वेबसाईट www.drieo.rajasthan.gov.in पर ऑन–लाईन, निदेशालय की ई–मेल आई. डी drieo@rajasthan.gov.in पर अथवा निदेशालय के टोल फ्री नम्बर 18001806292 के माध्यम से सूचना दे सकता है। आमजन को निदेशालय के कार्यों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये समय–समय पर विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित करवाये जाते हैं, जिनका परिणाम सकारात्मक रहा है, तथा इससे आमजन के माध्यम से काफी संख्या में कर अपवंचना सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचनाऐं निरंतर प्राप्त हो रही है।

निदेशालय के पोर्टल पर प्राप्त ऑन–लाईन शिकायत के संबंध मे एक विशिष्ट पावती क्रमांक कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः ही सृजित किया जाता हैं, जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाती है। प्राप्त शिकायत की जांच कर इसे स्वीकार/ अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है। शिकायत को स्वीकार करने की स्थिति मे कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः ही एक विशिष्ट आई.डी क्रमांक (PIR) सृजित किया जाता है एवं अस्वीकृति की स्थिति मे शिकायतकर्ता द्वारा पावती क्रमांक के माध्यम से विभागीय वेबसाईट पर विवरण देखा जा सकता है। दोनो ही स्थितियों की जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाती है। स्वतः संज्ञान/अन्य प्रकार से प्राप्त सूचनाओं/शिकायतों को सर्वप्रथम पी.आई.आर. के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रत्येक दर्ज पी.आई.आर. के लिए एक विशिष्ट आई.डी क्रमांक कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः ही सृजित किया जाता है तथा सृजित पी.आई.आर. के आई.डी क्रमांक की जानकारी सूचनादाता को भी दी जाती है।

पी.आई.आर. का वर्गीकरण– आमजन से प्राप्त अथवा स्वतः संज्ञान द्वारा दर्ज पी.आई. आर. में विषय प्रकृति एवं प्रकरण की प्रकृति के आधार पर पी.आई.आर. को सामान्य अथवा महत्वपूर्ण श्रेणी में वर्गीकरण किया जाता है। पी.आई.आर. जो अति विशिष्ट प्रकृति/महत्वपूर्ण श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है, उनमें निदेशालय द्वारा स्वयं के स्तर पर विस्तृत जॉच की कार्यवाही की जाती है। शेष पी.आई.आर. संबन्धित विभाग में इस कार्य हेतु अधिकृत किये गये विभागीय नोडल अधिकारी को ऑनलाईन प्रेषित कर दी जाती है। तत्पश्चात् विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा समय–समय पर की गई कार्यवाही की सूचना ऑनलाईन ही इस निदेशालय को भिजवाई जाती है।

निदेशालय द्वारा वाणिज्यिक कर, परिवहन, खनन, आबकारी तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में इन विभागों द्वारा अधिकृत विभागीय नोडल अधिकारियों को विभाग से संबंधित पीआईआर पर कार्यवाही करने तथा निदेशालय की वेबसाईट पर नियमित रूप से अपडेट करने हेतु यूजर नेम एवं पासवर्ड दिये गये है। समय–समय पर विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर लम्बित पी.आई.आर. का पर्यवेक्षण एवं इसके निस्तारण की समीक्षा की जाती हैं। सूचनादाता भी उसे आवंटित पी.आई.आर. आई. डी क्रमांक के आधार पर सूचना पर हुई कार्रवाई में प्रगति की जानकारी निदेशालय की वेब साईट पर देख सकता है।

राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सूचनाओं को दर्ज करने व निस्तारण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। संबंधित राजस्व विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा दर्ज सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही कर प्राप्त राजस्व का इन्द्राज पोर्टल पर ऑनलाईन किया जा रहा है।

6. विशेष चयन नियम

निदेशालय में अनुभवी, दक्ष एवं कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को पदस्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2010 बनाये गये थे। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय के वर्ष 2023 में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के रूप में पुनर्गठन के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों के विशेष चयन हेतु राजस्थान सिविल सेवा (राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन व सेवा की विशेष शर्तें), नियम 2023 तैयार किये गये है, जिनका केबिनेट से अनुमोदन होना शेष है।

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में स्वीकृत 107 पदों पर राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्त (राजस्व) विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2023 की अनुपालना में समायोजित किया गया है।

7. मुखबिरों/सूचनादाताओं राजकीय कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार द्वारा राजस्व अपवंचन करने वालों के संबंध में सूचनादाताओं एवं राज्य कर्मचारियों के प्रोत्साहन हेतु मुखबिर प्रोत्साहन योजना, 2021 लागू की गई है। योजना में राजस्व अपवंचन (कर चोरी) की सूचना देने पर आम जनता को 10 लाख से अधिक राशि की अविवादित राजस्व वसूली होने पर वसूल किये गये राजस्व के 8 प्रतिशत तक प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों के मामलों द्वारा स्वप्रेरणा/शिकायत के प्रकरणों में वसूल किये गये अविवादित राजस्व की राशि न्यूनतम 1 करोड़ या अधिक होने पर टीम को राशि रूपये 2 लाख तक एवं व्यक्तिगत को राशि रूपये 50 हजार प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना में सूचनादाता की जानकारी की गोपनीयता बनाये रखने के प्रावधान भी किये गये है। योजना की विस्तृत जानकारी निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में निदेशालय द्वारा 31 दिसम्बर, 2024 तक सूचनादाताओं को 2,73,834 रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित की गई है।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कर अपवंचना से संबंधित गोपनीय प्रकृति के कार्यों से होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप–धारा (4) के प्रथम एवं द्वितीय परंतुक के प्रावधानों में वर्णित सूचनाओं के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत देय सूचनाओं से निदेशालय को मुक्त किया गया है। निदेशालय द्वारा की गई जाँच को एवं सूचनादाताओं की पहचान को गोपनीय रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 24 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को आसूचना और सुरक्षा संगठन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

9. पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के कार्यों का विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक विवरण

पूर्व तीन वित्तीय वर्षों 2021–24 (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2024) में 411 नवीन शिकायती/स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 323 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस

दौरान राशि लगभग रू. 1306.19 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 160.67 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024) में 44 नवीन शिकायती/स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं 31 प्रकरण निस्तारित किये गये और इस दौरान राशि रू. 838.50 करोड़ की मांग कायम की गई तथा राशि रू. 95.34 करोड़ की राजस्व वसूली की गई है।

निदेशालय में पूर्व 3 वित्तीय वर्षों 2021–24 (दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2024) एवं वित्तीय वर्ष 2024 (दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक) में दर्ज एवं निस्तारित पी.आई.आर., स्वप्रेरित प्रकरण एवं समग्र (पीआईआर एवं स्वप्रेरित) प्रकरणों का विवरण एवं इनसे प्राप्त राजस्व राशि का विवरण आगे तालिका में दर्शित किया गया है–

क्र.स.	विभाग का नाम	01.04.21 से 31.03.24 तक दर्ज पी.आई.आर. का विवरण					
		01.04.21 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पीआईआर की संख्या	निस्तारित पीआईआर की संख्या	शेष पीआईआर की संख्या	आरोपित राशि (लाख)	वसूली गयी राशि (लाख) (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	217	105	97	225	458.86	650.41
2	परिवहन विभाग	23	23	7	39	53.67	45.72
3	आबकारी विभाग	8	24	9	23	20718.00	620.38
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	200	44	42	202	10607.36	257.10
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	141	54	31	164	17367.67	628.81
6	अन्य	1	3	2	2	0.00	0.00
	योग–अ	**590**	**253**	**188**	**655**	**49205.56**	**2202.42**

क्र.स.	विभाग का नाम	01.04.21 से 31.03.24 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण					
		01.04.21 को शेष स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	निस्तारित स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	शेष स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	आरोपित राशि (लाख)	वसूली गयी राशि (लाख) (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	207	65	87	185	9678.36	3057.76
2	परिवहन विभाग	53	22	13	62	3842.06	8922.80
3	आबकारी विभाग	4	5	2	7	0.00	139.87
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	157	59	29	188	67892.94	1665.35
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	40	7	4	43	0.00	79.65
6	अन्य	0	0	0	0	0.00	0.00
	योग–ब	**461**	**158**	**135**	**485**	**81413.36**	**13865.43**
	महायोग (योग–अ + योग–ब)	**1051**	**411**	**323**	**1140**	**130618.92**	**16067.85**

क्र. स.	विभाग का नाम	01.04.24 से 31.12.24 तक दर्ज पी.आई.आर. का विवरण					
		01.04.23 को शेष पीआईआर की संख्या	दर्ज पीआईआर की संख्या	निस्तारित पीआईआर की संख्या	शेष पीआईआर की संख्या	आरोपित राशि (लाख)	वसूली गयी राशि (लाख) (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	225	7	3	229	13.12	10.58
2	परिवहन विभाग	39	3	0	42	3.05	3.05
3	आबकारी विभाग	23	5	8	20	857.85	198.72
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	202	7	8	201	3228.71	33.48
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	164	6	7	163	47064.54	1.62
6	अन्य	2	0	0	2	0.00	0.00
	योग–अ	**655**	**28**	**26**	**657**	**51167.27**	**247.45**

क्र. स.	विभाग का नाम	01.04.24 से 31.12.24 तक दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों का विवरण					
		01.04.23 को शेष स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	दर्ज स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	निस्तारित स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	शेष स्वप्रेरित प्रकरणों की संख्या	आरोपित राशि (लाख)	वसूली गयी राशि (लाख) (समायोजन सहित)
1	वाणिज्यिक कर विभाग	185	6	1	190	0.00	0.00
2	परिवहन विभाग	62	1	0	63	2707.49	2707.49
3	आबकारी विभाग	7	2	1	8	23117.00	0.00
4	मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग	188	5	3	190	6858.39	6579.19
5	खनिज एवं भूविज्ञान विभाग	43	2	0	45	0.00	0.00
6	अन्य	0	0	0	0	0.00	0.00
	योग–ब	**485**	**16**	**5**	**496**	**32682.88**	**9286.68**
	महायोग (योग–अ + योग–ब)	**1140**	**44**	**31**	**1153**	**83850.15**	**9534.13**

10. चालू वित्तीय वर्ष (01.04.2024 से 31.12.2024) से पिछले वित्तीय वर्ष का तुलनात्मक विवरण

निदेशालय मे वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 1.04.2024 से 31.12.2024 तक) क्रमशः 45 एवं 16 नवीन स्वप्रेरित प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान क्रमशः राशि रूपये 65.00 करोड़ तथा रूपये 326.83 करोड़ की मांग कायम की गई तथा क्रमशः राशि रूपये 45.80 करोड़ तथा रूपये 92.87 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक) एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 1.04.2024 से 31.12.2024 तक) क्रमशः 80 एवं 28 नवीन पी.आई.आर. प्रकरण दर्ज किये गये एवं इस दौरान क्रमशः राशि रूपये 94.19 करोड़ तथा रूपये 511.67 करोड़ की मांग कायम की गई तथा क्रमशः राशि रूपये 2.68 करोड़ तथा रूपये 2.47 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई है।

समग्र रूप में निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2023–24 में (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) कुल 125 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर रू. 159.18 करोड़ की मांग कायम की जाकर राशि रूपये 48.47 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024–25 में (01.04.2024 से 31.12.2025 तक) कुल 44 प्रकरण (स्वः प्रेरित एवं सूचनादाता से प्राप्त) दर्ज कर राशि रूपये 838.50 करोड़ की मांग कायम की जाकर राशि रूपये 95.34 करोड़ की राजस्व वसूली (समायोजन सहित) की गई। आलौच्य अवधि में 31 प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

11. आलौच्य वर्ष की विशेष उपलब्धियाँ एवं पहल

(i) वाणिज्यिक कर विभाग

आलोच्य वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक) वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह नवम्बर, 2024 तक वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान को निम्न प्रकरण एवं राजस्व प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये।

प्रतिवेदनः– राजस्थान में रिटेल ऑन इकाइयों (मानव उपभोग हेतु मदिरा) द्वारा वैट अधिनियम, 2003 और जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत कर अनुपालन का विश्लेषण।

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, जयपुर द्वारा राज्य में रिटेल ऑन इकइयों यथा रेस्टोरेन्ट बार, होटल बार, क्लब बार आदि द्वारा विक्रय की जा रही मानव उपभोग हेतु मदिरा पर देय वैट कर, गोवंश सरचार्ज एवं वस्तु एवं सेवा कर संबधित विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन इत्याादि की तथ्यात्मक वस्तु स्थिति का आकलन करते हुए उक्त अन्वेक्षणात्मक प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया।

आलोच्य अवधि में निम्न महत्वपूर्ण प्रकृति के कर अपवंचन प्रकरण अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये–

1. मैसर्स ऐंजल ट्रेडिंग कम्पनी, कोटा एवं सम्बंधित फर्म मैसर्स देव एन्टरप्राईजेज, कोटा द्वारा एल्यूमिनियम, ब्रांस एवं कॉपर स्क्रेप की कथित बोगस आगत कर सम्बंधित प्रकरण का अनुसंधान कर लगभग 25 करोड के जीएसटी कर की राशि अपवंचन को उजागर कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को अभिनिर्धारण हेतु प्रेषित किया गया।
2. मैसर्स Aim Inc. द्वारा वर्ष 2020–21 से 2023–24 के दौरान रिवर्स चार्ज के तहत देय कर का भुगतान नहीं किया गया एवं न ही आनुपातिक रूप से आगत कर को रिवर्स किया गया। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही एवं अभिनिर्धारण हेतु वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया।

3. मैसर्स DBL-AHC JV द्वारा आरजीएसटी एक्ट, 2017 के प्रावधानों के विरूद्ध बिना सेवापूर्ति किये मात्र इनवॉइस जारी कर गलत आगत कर वितरण (Pass-on) किया जाना पाया गया। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही एवं अभिनिर्धारण हेतु वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया।
4. मैसर्स राजेश्वरी रोडलाइन्स द्वारा आरजीएसटी एक्ट, 2017 के प्रावधानों के विरूद्ध कर संग्रह करना किन्तु संग्रहित कर को राजकोष में जमा नहीं करना पाया गया। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही एवं अभिनिर्धारण हेतु वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित किया गया।

मैसर्स दिलीप बिल्डकॉन द्वारा वर्श 2019–20 से 2023–24 तक रॉयल्टी पर देय जीएसटी का भुगतान न किया जाना, एवं प्रावधान 16(2)(B) के विरूद्ध आगत कर लाभ एवं रियायती दर पर खरीदे गये डीजल का प्रावधान विरूद्ध उपयोग कर कुल 6.97 करोड का करापवंचन किया ज़ाना पाया गया है।

(ii) परिवहन विभाग

वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक कुल 4 पीआईआर दर्ज की गई। जिनमें से 1 प्रकरण बिना कर चुकाये संचालित बसों से संबंधित है एवं 3 प्रकरण अन्य राज्यो के राजस्थान राज्य में बिना कर चुकाये संचालित वाहनो से संबंधित है। इस अवधि में पुराने बकाया प्रकरणों मे कुल राजस्व रू. 2710.54 लाख प्राप्त हुआ।

उक्त अवधि में निम्न विषय पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर परिवहन विभाग को भेजी गई, जो कि विभाग को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दक्षता बढाने व राजस्व वृद्धि हेतु उपयोगी होगी :–

1. Suggestions for increasing revenue collection of Transport Department:- इस रिपोर्ट में परिवहन विभाग द्वारा अर्जित किये जा रहे वर्तमान राजस्व का विस्तृत विश्लेषण कर राजस्व वृद्धि के लिये महत्वपूर्ण सुझावों से परिवहन विभाग को अवगत कराया गया है।

(iii) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

विभागीय प्रमुख कार्यों के विरूद्ध आलोच्य वर्ष की पहल एवं उपलब्धियां निम्नानुसार है:–

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 प्रकरण जो कि बैंक के समामेलन (Amalgamation) से संबंधित है, पर मुद्रांक कर देयता का निर्धारण करने हेतु दर्ज कर विभागीय नोडल अधिकरी, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर को भिजवाया गया जिसमें, रू. 65 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
2. प्रकरण जो कि बीमा कम्पनी के समामेलन (Amalgamation) से संबंधित है, पर मुद्रांक कर देयता का निर्धारण करने हेतु निदेशालय स्तर पर प्राथमिक जाचं हेतु विचाराधीन है जिसमें, अनुमानित रू. 18 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।
3. प्रकरण जो कि सीमेण्ट कम्पनी समामेलन (Amalgamation) से संबंधित है, पर मुद्रांक कर देयता का निर्धारण करने हेतु दर्ज कर विभागीय नोडल अधिकरी, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर को भिजवाया गया जिसमें, अनुमानित रू. 32.50 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।
4. राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के आर्टिकल 43 के अन्तर्गत भागीदारी फर्म हुए वैधानिक परिवर्तन पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय है। अतः निदेशालय स्तर पर नमूने के तौर पर अजमेर जिले की वर्ष 2024 में हुए भागीदारी फर्म में परिवर्तन के संबंध में करीब 46 फर्मों को नोटिस जारी किये गये जिसमें प्राथमिक स्तर पर अच्छा राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
5. इसी तर्ज पर कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान सरकार के कार्यालय द्वारा विगत 5 वर्षों में उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशिष्ठ श्रेणी एवं 'ए' श्रेणी मण्डियों में स्थित भागीदारी फर्मों में हुए वैधानिक परिवर्तन पर नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में निदेशालय स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस पर भी स्तर पर अच्छा राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

(iv) खान एवं भू–विज्ञान विभाग

वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 7 पीआईआर दर्ज की गई तथा नीमराणा, नागौर, जोधपुर, अजमेर, पाली एवं उदयपुर जिले में निदेशालय को प्राप्त शिकायतों के आधार पर एवं स्व–प्रेरणा पर दर्ज प्रकरण में जांच एवं निरीक्षण की कार्यवाही की गई।

राज्य के विभिन्न जिलों में खनिज का कार्य करने वाले डीलर्स का आवक–जावक आंकड़ों का अध्ययन करने पर पाया गया कि खनिज डीलर्स के आवक–जावक आंकड़ों में भारी अन्तर है। इस अन्तर के आधार पर राज्य के लगभग 35 डीलर्स से उनके कारोबार की जानकारी ली गयी है एवं इस सम्बन्ध में निदेशालय में पीआईआर दर्ज की गयी है। जांच पूर्ण होने पर राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति की सम्भावना है।

राज्य में खनिज वॉलेस्टोनाईट का उत्खनन कर विक्रय करने वाली कम्पनी के आंकड़ों का निरीक्षण एवं अनुसंधान करने पर ज्ञात हुआ की उक्त कम्पनी द्वारा खनिज वॉलेस्टोनाईट के खनन के आंकड़े पूर्ण रूप से नहीं देकर कम आंकड़ों के आधार पर रॉयल्टी दे रही है। निदेशालय स्तर पर इस बाबत एक रिपोर्ट बनाकर खान विभाग को भिजवायी गयी है, जिसमें राशि रु. 3.59 करोड़ के राजस्व प्राप्ति की संभावना है।

सूचनादाता की सूचना पर ग्राम निझरना, जिला राजसमन्द में अवैध खनन की दृष्टि से खनिज मार्बल की खान का निरीक्षण किया गया। मौके पर की गयी जांच के अनुसार खनन पट्टाधारी द्वारा कुल 16,20,000 टन खनिज मार्बल का उत्खन्न किया गया था किन्तु रवन्ना मात्र 1,59,263.98 टन के ही जारी किए गए थे। इस प्रकार खनन पट्टाधारी द्वारा 14,70,736 टन खनिज का कोई ई–रवन्ना/बिल आदि जारी नहीं किया गया था। इस आधार पर प्रकरण बनाकर खान एवं भू–विज्ञान विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया था, जिस पर खान विभाग द्वारा राशि रु. 470 करोड़ की मांग कायम की गयी है। जिस पर राज्य सरकार को उपरोक्त राशि के राजस्व की प्राप्ति की संभावना है।

(V) आबकारी विभाग

निदेशालय की आबकारी शाखा के द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 10 प्रकरण दर्ज किए गये जिसमें से 9 महत्त्वपूर्ण प्रकृति के हैं। वर्ष 2023–24 के अंत में कुल 30 प्रकरण लंबित थे। निदेशालय की आबकारी शाखा के द्वारा दर्ज प्रकरणों में आबकारी विभाग से मिली सूचना अनुसार वर्ष 2023–24 में लगभग 1.78 करोड रू. की राजस्व की प्राप्ति हुई है।

निदेशालय की आबकारी शाखा के द्वारा वर्ष 2024–25 के दौरान 31 दिसम्बर 2024 तक कुल 7 प्रकरण दर्ज किए गये हैं जिसमें से 6 महत्त्वपूर्ण एवं 1 सामान्य प्रकृति के हैं। निदेशालय की आबकारी शाखा के द्वारा वर्ष 2024–25 में 31 दिसम्बर तक 9 प्रकरणों को बंद/निस्तारित किया गया है। 31 दिसम्बर 2024 को कुल 28 प्रकरण लंबित हैं। निदेशालय की आबकारी शाखा के द्वारा दर्ज प्रकरणों में आबकारी विभाग से 31 दिसम्बर 2024 तक मिली सूचना अनुसार वर्ष 2024–25 में लगभग 1.98 करोड रू. की राजस्व की प्राप्ति हुई है।

12. *सार संक्षेप*

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, राजस्व रिसाव की विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण कर उसे रोकने तथा राज्य के राजस्व में वृद्धि करने हेतु महत्ती भूमिका सम्पादित कर रहा है एवं इसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

सारणी – 1

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, जयपुर

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना का विवरण दिनांक 31.12.2024 तक की स्थिति

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	महानिदेशक	1	-	1
2.	अतिरिक्त निदेशक – 1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2. राजस्थान पुलिस सेवा 3. राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा 4. अन्य राज्य सेवा	 1 1 1 1	 1 - - -	 - 1 1 1
3.	संयुक्त निदेशक एव राजस्व आसूचना अधिकारी – 1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2. राजस्थान पुलिस सेवा 3. राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा 4. राजस्थान आबकारी सेवा 5. राजस्थान खनिज अभियांत्रिकी सेवा 6. राजस्थान लेखा सेवा 7. राजस्थान सहकारिता सेवा 8. अन्य राज्य सेवा 9. राजस्व, बैंकिग या बीमा सेवा से सम्बद्ध कार्मिक	 1 1 1 1 1 1 1 1 2	 - - 1 1 1 - 1 1 -	 1 1 - - - 1 - - 2
4.	उप निदेशक एव राजस्व आसूचना अधिकारी – 1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2. राजस्थान पुलिस सेवा 3. राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा 4. राजस्थान आबकारी सेवा 5. राजस्थान खनिज अभियांत्रिकी सेवा 6. राजस्थान लेखा सेवा 7. राजस्थान परिवहन सेवा 8. राजस्थान सहकारिता सेवा 9. अन्य राज्य सेवा	 2 2 2 2 2 2 2 2 4	 2 - 2 2 - 2 2 2 4	 - 2 - - 2 - - - -
5.	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	-
6.	उप विधि परामर्शी	1	-	1
7.	विधि सहायक	2	2	-
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	-
9.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर	1	1	-
10.	प्रोग्रामर	1	1	-
11.	सहायक प्रोग्रामर	2	1	1
12.	सूचना सहायक	5	3	2
13.	वरिष्ठ लिपिक	12	1	11
14.	कनिष्ठ लिपिक	24	1	23
15.	सहायक कर्मचारी	12	-	12
16.	वाहन चालक	10	3	7
		107	37	73

सारणी – 2

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय में पदस्थापित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर

क्र.सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	टेलीफोन नम्बर		
			ऑफिस	घर	मोबाईल नं.
1.	श्री कुलदीप कुमार सिंह (आई.आर.एस.)	महानिदेशक	244781		9414610082
2.	श्री जय सिह (आर.ए.एस.)	अति. निदेशक	2740889		9414086221
3.	श्रीमती ज्योति सागर रे	मुख्य लेखाधिकारी	2744963		9887147434
4.	श्री राहुल मीणा	संयुक्त निदेशक एवं आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)	2744890		9414471318
5.	श्री योगेश कुमार बैरवा	संयुक्त निदेशक एवं आर.आई.ओ. (अन्य सेवा)			9413002879
6.	श्री दिनेश कुमार विजय	सिस्टम एनालिस्ट			9414255201
7.	श्री पवन कुमार रोयल	संयुक्त निदेशक एवं आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			8562054691
8.	श्री संजय सिंह दूलर	संयुक्त निदेशक एवं आर.आई.ओ. (आबकारी)			9462695723
9.	श्री विकास यादव	संयुक्त निदेशक एवं आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			7597185769
10.	श्री संदीप चौधरी	संयुक्त निदेशक एवं आर.आई.ओ. (वाणिज्यिक कर)			9929120569
11.	श्री मोहम्मद इरफान	उप निदेशक एवं आर.आई.ओ. (अन्य सेवा)			9784806532
12.	श्री अनुराग यादव	उप निदेशक एवं आर.आई.ओ. (पंजीयन एवं मुद्रांक)			7340158958
13.	श्रीमती मनीषा शर्मा	आर.आई.ओ. (पंजीयन एवं मुद्रांक)			9982602281
14.	श्री सिद्धार्थ राजोरिया	आर.आई.ओ. (अन्य सेवा)			9971188309
15.	श्री राकेश भारद्वाज	मोटर वाहन निरीक्षक			9782363860
16.	श्री विपुल व्यास	मोटर वाहन निरीक्षक			9413341717
17.	श्री सुरेश तिवाड़ी	प्रोग्रामर			9462064965
18.	श्री यागेश कुमावत	प्रोग्रामर			9413768503

PABX –0141-2744963/Toll Free No. 1800 180 6292

Fax No. 0141-2744841

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय
सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर रेवेन्यू रिसर्च एण्ड एनालिसिस भवन,
छठा–सातवां तल, झालाना, जयपुर

ई–मेल : drieo@rajasthan.gov.in